न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 77/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 18.2.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

गणेश लाल आत्मज बूंची लाल जाति खटी नि0 केशोपुरा II चौराहा कोटा जिला कोटा (राज0)।
..... अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मथुरी पत्नी
2. श्री कुन्दन पुत्र
   स्व0 बद्री लाल जाति रेगर निवासी कैथून तहसील लाडपुरा (कायम मुकामान स्व0 बद्रीलाल)
3. प्रेमशंकर
4. रमेश चन्द
5. राजेन्द्र कुमार
6. मुकेश
   पुत्र स्व0 रामकरण जाति रेगर नि0 कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा कायम मुकामान स्व0 रामकरण
7. कंचनबाई पत्नी स्व0 रामकरण जाति रेगर निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 (कायम मुकाम–स्व0 रामकरण)
8. गणपत आ0 जगन्नाथ जाति रेगर निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
9. लालचन्द आत्मज जगन्नाथ जाति रेगर निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
10. रामनारायण आत्मज जगन्नाथ जाति रेगर निवासी हेवी वाटर कालोनी रावतभाटा क्वार्टर नम्बर–30 जिला चित्तौडगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुनील महर्षि अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री शंभूदयाल विजय अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट क्रम–10

:: निर्णय ::

दिनांक 27.10.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 17/2016 (प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण) नियम 22 दी कोलोनाइजेशन चम्बल प्रोजेक्ट लेण्ड अलोटमेन्ट एण्ड सेल्स रूल्स 1957 बउनवान गणेशलाल बनाम श्रीमती मथुरी वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 8.6.2016 से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गत न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22 दी कोलोनाइजेशन चम्बल प्रोजेक्ट लेण्ड अलोटमेन्ट एण्ड सेल्स रूल्स 1957 के अन्तर्गत ग्राम भीमपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजी खसरा नम्बर 50/527 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 176 रकबा 0.26 है0 के आवंटन आदेश दिनांक 7.6.1985 को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जेरअपील निर्णय दिनांक 8.6.2016 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर वर्णित किया कि रेस्पो0 द्वारा गलत बयानी करके धोखे से उपरोक्त वर्णित भूमि कृषि योग्य

भूमि न होकर रास्ते की भूमि होना वर्णित करते हुये भूमि का रेस्पो0 को दिनांक 7.6.1985 को किये गये आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 8.6.2016 से निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एंव न्याय एंव संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आवंटित भूमि अपीलांट की खरीद शुदा भूमि से लगी हुई है जो भू पट्टी के रूप मे स्थित है। विक्रय पत्र मे रास्ते का हवाला है किन्तु रेस्पो0 ने स्ट्रीप औंफ लेण्ड बताकर आवंटन करा लिया जो मिसरिप्रजेन्टेशन व कन्सीलमेन्ट आफ फेक्ट्स है जबकि स्ट्रीप आफ लेण्ड अपीलांट की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सर्वथा अवैधानिक है। अपीलांट उक्त आवंटित भूमि मे होकर ही अपने खेत पर काश्त हेतु आता जाता है। आवंटित भूमि काश्त हो जाने पर अपीलांट का रास्ता रूक जावेगा। आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का अवसर नही दिया। नियमों के विरूद्ध सरसरी तौर पर उक्त भूमि को रेस्पो0 को आवंटित कर दिया। रेस्पो0 आवंटन की पात्रता नही रखते है। निर्धारित अवधि मे भूमि काश्त नही की। आवंटन कोरम पूर्ण हुये बिना किया गया तह0 कोरम मे शामिल नही थे ऐसी स्थिति मे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य था। इन तथ्यों को तथा पटवारी हल्का धाकडखेडी की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 3.7. 2005 व 23.10.2005 को नजर अंदाज करके अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 8.6.2016 निरस्त किया जावे तथा आवंटन आदेश दिनांक 7.6.1985 खारिज किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 2.8.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 1 नियम 7 व 8 सीपीसी का रेस्पो0 क्रम 6, 7, व 8 एंव 9 की तलबी बन्द की जाकर उनका नाम डिलिट करने का पेश किया गया। रेस्पो0 क्रम–10 के अभिभाषक द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2019 का दिनांक 3.9.2019 को जवाब प्रस्तुत कर वर्णित किया कि अपीलांट द्वारा विचाराधीन अपील प्रकरण मे पक्षकारों की तलबी हेतु तलवाना नोटिस पेश नही किया जा रहा है प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है अतः अपील अदम तामील तकमील मे खारिज की जावे क्योकि सभी पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार रहे है और रेस्पो0 मुकेश और कंचन पूर्व पते पर ही निवास करते है इसके अलावा रेस्पो0 गणपत की मृत्यु अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी जिसे गलत रूप से पक्षकार बनाकर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपील पेश की है जिसके कायम मुकामान बनाने का प्रार्थना पत्र आज तक भी पेश नही किया है। इसी प्रकार लालचंद की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र भी आज तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जबकि कानूनन 90 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र बनाये जाने कायम मुकामान प्रस्तुत किया जाना कानूनन आवश्यक है अन्यथा अपील स्वतः ही अबेट मानी जावेगी। अपीलांट द्वारा इन कानूनी बिन्दूओं को ओवरलुक करते हुये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योय नही है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2019 खारिज किया जावे। रेस्पो0 क्रम–10 के अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय ने दिनांक 3.9.2021 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर लालचंद, व गणेश की मृत्यु हो जाने की जानकारी अपीलांट को होने तथा तीन वर्ष से भी अधिक समय समाप्त हो जाने के उपरांत भी प्रकरण मे अपीलांट द्वारा मृतक के कायम मुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश नही किये जाने से अपील कानूनन अबेट हो जाने से अपील चलने योग्य नही होने से अबेट किये जाने बावत पेश किया।

3 अपीलांट की ओर से दिनांक 2.8.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 7 व 8 सीपीसी एंव रेस्पो0 क्रम–10 अभिभाषक द्वारा दिनांक 3.9.22021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र 2.8.19 मे वर्णित तथ्यों दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 क्रम 6. 7. 8. 9 का नाम डिलीट करने का अनुरोध किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम10 श्री शंभूदयाल विजय ने बहस मे प्रार्थना पत्र दिनांक 3.9.19 मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये रेस्पो0 क्रम 8 व 9 के कायममुकामान का प्रार्थना पत्र नियत अवधि 90 दिन मे अपीलांट द्वारा पेश नही करने से अपील स्वतः ही अबेट हो जाने से चलने योग्य नही होने से खारिज करने का अनुरोध किया। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2004(2) पेज 1150, डीएनजे (राज)2012 पेज 720 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अबेट किये जाने का अनुरोध किया।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2019 एंव रेस्पो0 की ओर से दिनांक 3.9.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर बहस प्रार्थना पत्र विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.6.2016 से व्यथित होकर रेस्पो0 के विरूद्ध अपील राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत पेश की गई है। अपील पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.10.2018 से प्रकरण रेस्पो0 क्रम 3, 6, 7 की तलबी एंव रेस्पो0 क्रम–8, 9 के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश करने मे विचाराधीन था जिसे लगभग 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है किन्तु अपीलार्थी द्वारा कायम मुका. का प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि मे पेश नही किया गया। कानूनन मृतक के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधि 90 दिवस है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट अभिभाषक द्वारा दिनांक 2.8.19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 7 व 8 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–10 ने प्रा0 पत्र दिनांक 2.8.19 का जवाब एंव दिनांक 3.9.19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अबेट हो जाने से चलने योग्य नही होने से खारिज करने का पेश किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा विद्वान अभि0 रेस्पो0 क्रम–10 द्वारा फर्द के साथ प्रकरण सं0 14/77 लालचन्द बनाम रामनारायण मे पारित निर्णय दिनांक 9.8.2019 अनुसार लालचंद की मृत्यु होने से उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को अबेट किया गया है। चूंकि लालचंद हस्तगत अपील प्रकरण मे रेस्पो0 क्रम–9 है। अपीलार्थी द्वारा लालचंद के कायम मुकामान हेतु आवेदन पत्र पेश नही किया है जिसे लगभग 3 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है जबकि कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधि 90 दिवस है। ऐसी स्थिति मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–10 द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2004 (2) पेज 1150, डीएनजे (राज) 2012 पेज 720 चस्पा होते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि 90 दिवस के भीतर पेश नही किये जाने के कारण रेस्पो0 क्रम–10 का प्रार्थना पत्र बावत ''अबेट किये जाने अपील'' स्वीकार कर, अपील अबेट की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा